राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0,

जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षैत्र, जयपुर–302017

E-mail- raj_coop_press@yahoo.co.in Website – www. thecooperativepress.com

ऑफसैट मशीन संचालन कार्य एवं कार्यालय संबंधी कार्यो के लिए संवेदक के माध्यम से कार्य अनुबंध पर कार्मिक रखने हेतु निविदा का विवरण

मुद्रणालय द्वारा वर्ष 2019–20 की (अनुबंध की तिथि से 31.03.2020) अवधि के लिये समय–समय पर आवश्यकतानुसार ऑफसैट मशीन संचालन कार्य एवं कार्यालय संबंधी कार्यो के लिए संवेदक के माध्यम से कार्य अनुबंध पर कार्मिक रखने हेतु निम्नानुसार (निर्धारित निविदा प्रपत्र में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन ई प्रोक्योरमैन्ट टू बिड पद्धति द्वारा) निविदायें आंमत्रित की जाती हैः–

(सभी राशियां रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	
1	अनुमानित राशि	रु. 50.00 लाख
2	बोली प्रतिभूति	रु. 1.00 लाख
3	बिड शुल्क	रु. 1000.00
4	प्रोसेसिंग फीस	रु. 1000.00
5	ऑनलाईन बिड प्रकाशन की तिथि	15.2.2019
6	वेबसाईट पर बिड प्रकाशन की तिथि	15.2.2019
7	ऑनलाईन बिड सबमिशन प्रारम्भ तिथि एवं समय	15.2.2019 को प्रातः 10 बजे से
8	ऑनलाईन बिड सबमिशन समाप्ति तिथि एवं समय	25.2.2019 को सायं 5 बजे तक
9	भौतिक रूप से निविदा प्रपत्र, बोली प्रतिभूति राशि, प्रोसेसिंग व टेण्डर फीस का डीडी मद्रणालय में प्रस्तुत करने की तिथि व समय	25.2.2019 को सांय 4 बजे तक
10	ऑनलाईन तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय	26.2.2019 को सायं 3.00 बजे

1. बिड शुल्क, अमानत राशि राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय एवं प्रोसेसिंग शुल्क (रू. 1000 का डिमांड ड्राफ्ट MD RISL के नाम) डीडी द्वारा जमा करवाना होगा।
2. बिड/निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण व शर्ते वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in एवं मुद्रणालय की वेबसाईट www.thecoorperativepress.com पर उपलब्ध है। बिड/निविदा वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जानी है।
3. बिड/निविदा के सम्बन्ध में अन्य जानकारी इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में ली जा सकती है।
4. बोलीदाता IT ACT के अनुसार डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं इलेक्ट्रोनिक्स बिड में उक्त हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। बिना डिजीटल हस्ताक्षर कोई भी बिड ऑफर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. विलम्ब से अपलोड बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
6. राजस्थान लद्यु उद्योगो की दशा में बोली प्रतिभूति अनुमानित लागत की 0.50 प्रतिशत होगी।

प्रबन्ध निदेशक

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0

जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षैत्र, जयपुर

मुद्रणालय में वर्ष 2019–20 (31.03.2020 तक) की अवधि के लिए ऑफसैट मशीन संचालन कार्य एवं कार्यालय संबंधी कार्यो के लिए पंजीकृत संवेदको के माध्यम से कार्य अनुबंध पर कार्मिक रखने हेतु निविदा सूचना

मुद्रणालय में अनुबंध दिनांक से 31.03.2020 की अवधि के लिए ऑफसैट मशीन संचालन कार्य एवं कार्यालय संबंधी कार्यो के लिए कार्य अनुबंध पर मुद्रणालय द्वारा निर्धारित दरों पर श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान अनुंबधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम–1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम–1952 एवं राज्य बीमा अधिनियम–1948 के अर्न्तगत पंजीकृत संवेदको से आनलाईन ई प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया से दर प्रस्ताव टू बिड्स पद्धति से दिनांक 25.2.2019 को सांय 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। टू बिड पद्धति से बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) मय मूल प्रपत्र, निविदा शर्ते एवं स्वीकृत दरें (परिशिष्ट''अ'' से ''द'') मुद्रणालय की वेबसाईट www.thecooperativepress.com तथा eproc.rajasthan.gov.in व sppp.rajasthan.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है तकनीकी निविदा (प्रपत्र'अ') तथा वित्तिय बिड् प्रपत्र–ब में वेबसाईट eproc. rajasthan.gov.in पर सम्बधित दस्तावेजों सहित पूर्णतया भरी हुई PDF Format में अपलोड करनी होगी। **वित्तीय बिड में केवल प्रस्तावित सर्विस चार्ज की दरों से संबंधित दर के कॉलम में प्रतिशत में भरा जाना है।** विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

Bidders who wish to participate in online tenders should have legally valid Digital Certificate as per Information Technology Act 2000 procured through any of the licence certifying Authority of India using which they can sign their electronic bids.

प्राप्त बिड्स के प्रस्तावों में तकनीकी बिड को उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष दिनांक 26.2.2019 को सायं 3.00 बजे खोला जायेगा। तकनीकी बिड में सफल बोलीदाता की ''वित्तीय बिड'' को ही खोला जायेगा। किसी भी बिड या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुद्रणालय को होगा तथा इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय ही अन्तिम व मान्य होगा। बोलीदाता द्वारा बिड्स प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह होगा कि समस्त शर्तें बोलीदाता को स्वीकार है। ***बिड के साथ दो प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी/बैंकर्स चैक/नकद के माध्यम से जमा/किसी अनुसूचित बैंक की गारन्टी जोकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 में वर्णित हैं, द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर के पक्ष में जमा करानी होगी।*** राजस्थान उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति बिड के साथ अपलोड करनी होगी। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि ***मुद्रणालय में उक्त वर्णित तरीको से किसी एक द्वारा*** मुद्रणालय के पक्ष में जमा करानी होगी इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। सफल बोलीदाता को सेवाप्रदाय के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को सेवाप्रदाय के मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा लिखित करार (अनुबन्ध) करना होगा। अन्य कोई सूचना प्राप्त करनी हो तो उक्त सबंध में संस्था के महाप्रबंधक श्री सुनील दत्त शर्मा फोन 0141–2751417 एवं ई–मेल : raj_coop_press@yahoo.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।

बिड अनुबंध की वैधता अवधि अनुबंध होने की तिथि से 31.03.2020 की अवधि के लिए होगी। मुद्रणालय प्रशासन को अनुबंध अवधि समाप्त होने से पूर्व अनुबंध को खत्म करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी तरह का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

संलग्न : बिड (निविदा) प्रपत्र एवं शर्ते

प्रबन्ध निदेशक

प्रपत्र ''अ''

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0,

जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

मुद्रणालय में वर्ष 2019–20 (31.03.2020 तक) की अवधि के लिए ऑफसैट मशीन संचालन कार्य पंजीकृत संवेदको के माध्यम से कार्य अनुबंध पर कार्मिक रखने हेतु बिड् प्रपत्र–प्रथम (तकनीकि बिड्)

1. बिड प्रपत्र मूल्य रू. 1000/–
2. बिड सबमिशन समाप्ति की दिनांक 25.2.2019 को सांय 5.00 बजे तक
3. बिड खोलने की दिनांक 26.2.2019 को सायं 3.00 बजे
4. बिड का अनुमानित मूल्य 50.00 लाख रू0

(सभी कॉलम की पूर्ति किया जाना अपेक्षित है।)

1. बोलीदाता का नाम व पूर्ण पता..

   ....

   बोलीदाता फर्म का कार्यालय का पूर्ण पता ....

   ....फोन नं. ....

   ई–मेल ....मोबाइल नं. ....

2. बिड प्राप्तकर्ता प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर

1	बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत 50.00 लाख रू0 का 2% (1,00,000 रू0)	बिड प्रतिभूति जमा राशि का पूर्ण विवरण
2	बोली प्रतिभूति राशि में लद्यु उद्योग संबंधित छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लद्यु उद्योग संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति बिड के साथ प्रस्तुत है। इस प्रकार की ईकाई बिड्स सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत (25 हजार रूपये) मुद्रणालय में जमा करा दी गयी है।	बिड प्रतिभूति जमा राशि का पूर्ण विवरण ....
4	प्रोसेसिंग फीस (MD, RISL) के नाम देय डीडी का विवरण (रूपये एक हजार मात्र)	
5	सेवा प्रदायक का पी. एफ. कार्यालय में पंजीयन क्रमांक एवं वर्ष तथा नवीनतम पी.एफ. चुकता प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है।	
6	सेवा प्रदायक का ई.एस.आई. कार्यालय में पंजीयन क्रमांक एवं वर्ष तथा ई.एस.आई. चुकता का नवीनतम प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है।	

7	सेवा प्रदायक संस्था का वस्तु एवं सेवा कर पंजीयन एवं टैक्स जमा का चुकता प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
8	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम–1958 या इंण्डियन पार्टनरशिप एक्ट–1932 या इंण्डियन कम्पनी एक्ट–1956 के अंर्तगत पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करें।	
9	विगत तीन वित्तीय वर्षो (वर्ष 2015–16 से 2017–18) का औसत वार्षिक टर्न ओवर 15.00 लाख रूपये होने का प्रमाण (सनदी लेखाकार द्वारा जारी विगत तीन वर्षो के टर्नओवर का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	
10	गत तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में रु. 15.00 लाख रु. मूल्य (पारिश्रमिक) के कार्य अनुबंध पर कार्मिक उपलब्ध कराने की समरूप संविदाओं को संतोष जनक रूप से पुरा करने का संस्था/विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र मय अनुबंध की प्रति संलग्न करें।	

बोलीदाता के हस्ताक्षर व मोहर

बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त बिड संख्या .... दिनांक .... के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ कि :–

(1) यह कि मुद्रणालय को प्रस्तुत उक्त बिड्स से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यवसायिक, तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय मानव संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध हैं।

(2) यह कि मैं/हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करों की अदायगी के लिये बाध्य रहूँगा/रहेंगे।

(3) यह कि मैं/हम किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/हैं और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) यह कि विगत 3 वर्षो में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण निर्योग्य किये गये हैं।

(5) यह कि मेरे/हमारे द्वारा बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तो/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/हैं, जिसको मानने के प्रमाण स्वरूप समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर अंकित कर दिये हैं।

(6) यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड्स शर्तो से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते हैं।

दिनांक : ....

स्थान : ....

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम..

पद..

पता...

....

मो0नं0..

प्रपत्र ''ब''

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0

जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर–302017
फोन नं. 0141–2751417, 2751352

वर्ष 2019–20 (अनुबंध तिथि से 31.03.2020) की अवधि के लिए ऑफसेट मशीन संचालन कार्य एवं कार्यालय सम्बन्धी कार्य पंजीकृत संवेदको के माध्यम से कार्य अनुबंध पर श्रमिक रखने हेतु बिड
प्रपत्र द्वितीय

वित्तीय बिड

1. बोलीदाता का नाम व पूरा पता...

   ....

   ....
2. मुद्रणालय में अनुबंध दिनांक से 31.03.2020 अवधि के लिए कार्य अनुबंध के आधार पर श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु यह हमारी फर्म द्वारा BOQ में दरें प्रस्तुत है।
3. बिड प्रपत्र के साथ बिड एवं संविदा की जो शर्ते संलग्न है, हमें स्वीकार है।
4. सभी दरें जी.एस.टी. रहित (Without GST) अंकित है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

परिशिष्ट 'स'

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर

पंजीकृत संवेदको के माध्यम से कार्य अनुबंध पर कामगार रखने हेतु निविदा शर्तें :–

सूचना : बोलीदाता को अपनी दरें भरते समय इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढना चाहिए। बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढा जावें। किसी प्रकार का पुनर्लेखन नही होना चाहिए। यदि पुनर्लेखन हो तो उस पर लघुहस्ताक्षर अंकित होने चाहिए।

1. अनुबंध अवधि से 31.03.2020 की अवधि के लिए ऑफसेट मशीन संचालन कार्य एवं कार्यालय सम्बन्धी कार्य के लिए कार्य अनुबंध पर श्रमिक रखने हेतु मुद्रणालय द्वारा निर्धारित दरों पर सेवायें उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान अनुंबधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम–1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम–1952 एवं राज्य बीमा अधिनियम–1948 के अर्न्तगत पंजीकृत संवेदको से ईप्रिक्योरमेन्ट प्रक्रिया द्वारा टू बिड पद्धति से बिड्स दिनांक 25.2.2019 को सायं 5.00 बजे तक आंमत्रित की जाती है। टू बिड पद्धति से बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) मय मुल प्रपत्र बिड शर्तो का मुद्रणालय की वेबसाईट www.thecooperativepress.com व eproc.rajasthan.gov.in व sppp.rajasthan.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है। तकनीकी निविदा (प्रपत्र'अ') तथा वित्तिय बिड् प्रपत्र–ब में वेबसाईट eproc. rajasthan.gov.in पर सम्बधित दस्तावेजों सहित पूर्णतया भरी हुई PDF Format में अपलोड करनी होगी। विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। **वित्तीय बिड में सर्विस चार्ज की दरों के कॉलम में प्रस्तावित दरें प्रतिशत में भरी जानी है।**
2. **मुद्रणालय द्वारा वर्ष 2019–20 के लिए कार्य अनुबंध पर रखे जाने वाले कामगारों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक दरें निम्नानुसार हैः–**

क्रं. सं.	सेवा का नाम	श्रमिक की श्रेणी	दर	कामगारों की संख्या	स्वीकृत राशि	**EPF 13% Rs.**	**ESI 4.75% Rs.**
1.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	कुशल	प्रति व्यक्ति	मुद्रणालय की आवश्यकतानुसार	18000 / – रु. प्र0माह	2340	855
2.	लिपिक	कुशल	प्रति व्यक्ति	मुद्रणालय की आवश्यकतानुसार	18000 / – रु. प्र0माह	2340	855
3.	प्रशिक्षित प्रिन्टिग हैल्पर	कुशल	प्रति व्यक्ति	मुद्रणालय की आवश्यकतानुसार	12000 / – रु. प्र0माह	1560	570
4.	मशीन / सहायक मशीन आपरेटर	कुशल	प्रति व्यक्ति	मुद्रणालय की आवश्यकतानुसार	18000 / – रु. प्र0माह	2340	855
5.	चपरासी (पिओन)	कुशल	प्रति व्यक्ति	मुद्रणालय की आवश्यकतानुसार	12000 / – रु. प्र0माह	1560	570

3. क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी बिड को दिनांक 26.2.2019 को सायं 3.00 बजे खोला जायेगा। तकनीकी बिड में योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय बिड को खोला जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद मान्य नहीं होगा।
4. विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. निविदा के साथ बोली प्रतिभूति राशि के रूप में 1.00 लाख रूपये का बैंक ड्राफ्ट जमा कराना होगा। बैंक ड्राफ्ट राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय के नाम होगा। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
6. निविदादाता फर्म को निविदा के साथ सेवा प्रदायक संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर / जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र तथा लेबर ऐक्ट 1970 (रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन) के अंतर्गत लाईसैन्स का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

7. अनुबंधित संवेदक को मुद्रणालय की आवश्यकतानुसार कार्मिक/कामगार उपलब्ध कराने होंगे।
8. अनुमोदित निविदादाता मुद्रणालय में अनुभवी कामगार लगाने के लिये बाध्य होगा।
9. निविदादाता फर्म के समस्त कार्मिक संस्था में पूर्ण अनुशासन में रहेंगे तथा मुद्रणालय प्रशासन के निर्देशानुसार कार्य करेंगे एवं निर्देशों की पालना करेंगे तथा कार्यशाला संबंधी जानकारी रखेगें।
10. अनुमोदित निविदादाता को मुद्रणालय में कार्य की आवश्यकतानुार ईमानदार कामगार लगाने होंगे। किसी प्रकार की आपराधिक संलिप्तता पाये जाने पर पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
11. मुद्रणालय न्यूनतम सर्विस चार्ज की दर वाली निविदा को स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं है तथा उसे किसी भी निविदा या निविदा के किसी भी भाग को उसका कारण बतलाये बिना स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार संस्था को होगा।
12. सफल निविदादाता को संस्था के पक्ष में एक अनुबंध करना होगा। अनुबंध नहीं करने पर निविदा रद्द कर दी जावेगी तथा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
13. कम्प्यूटर कार्य की योग्यता कम्प्यूटर एवं संबंधित कार्य का ज्ञान तथा कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा। सहायक मशीन ऑपरेटर एवं प्रिन्टिंग हैल्परों को ऑफसैट प्रिन्टिंग कार्य में 3 वर्ष का पूर्ण अनुभव होना चाहिये।
14. निविदा के साथ जी.एस.टी./ई.पी.एफ./ई.एस.आई. अंशदान राशि का नवीनतम चुकता प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
15. निविदा स्वीकृत होने पर नियमानुसार सिक्यूरिटी राशि 2.50 लाख रूपये जमा करानी होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा के साथ जमा करवाई गई बोली प्रतिभूति राशि रू. 1.00 लाख समायोजित कर ली जावेगी।
16. मुद्रणालय में पूर्व की जमा बोली प्रतिभूति/सिक्यूरिटी राशि को इस निविदा के साथ नियमानुसार जमा कराई जाने वाली राशि में समायोजन नहीं होगा।
17. अनुमोदित संवेदक द्वारा सप्लाई किये जाने वाले कामगारों की शर्तो, विशिष्ट विवरणों आदि को सावधानीपूर्वक देखकर दरें प्रस्तुत करें। यदि उसे उन शर्तो या विशेष विवरण आदि के अर्थ के बारे में कोई सन्देह होगा तो वह अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे प्रभारी को सन्दर्भित करेगा तथा उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
18. i. संवेदक आवंटित आदेश को किसी अन्य ऐजेन्सी को सबलेट नहीं करेगा।
    ii. संस्था को फर्म का निरीक्षण करने तथा जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा।
    iii. निविदादाता को अपने कार्यालय का पूर्ण पता अंकित करना होगा। जहां जाकर निरीक्षण किया जा सके तथा साथ ही उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता भी देना चाहिये, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
    iv. संवेदक को जारी कार्य आदेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
    v. सर्विस चार्ज की दरें प्रतिशत में शब्दों और अंकों दोनों में लिखी जानी चाहिए। निविदा में कोई भी अभिवृद्धि (एडीशन) एवं परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिए। कोई भी ओवरराईटिंग नहीं की जानी चाहिए।

vi. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ व अन्त में निविदा एवं अनुबन्ध की समस्त शर्तों को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करने चाहिए।

vii. निविदा के साथ नियमानुसार 2 प्रतिशत निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के रूप में रू. 1,00,000/—जमा करानी होगी। इसके बिना निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। बोली प्रतिभूति राशि राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारटीं /नकद जमा करानी होगी। जिस फर्म की निविदा स्वीकार नहीं होगी, उन्हें निविदा की अंतिम स्वीकृति होने से एक माह के भीतर वापस लौटा दी जावेगी एवं जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकार की जावेगी उनको कार्य सम्पादन राशि 2.50 लाख रूपये मुद्रणालय में जमा करवानी होगी तथा निविदा के साथ जमा बोली प्रतिभूति राशि का जमानत (सिक्यूरिटी) के रूप में समायोजन कर लिया जावेगा।

viii. सफल निविदादाता को निर्धारित प्रपत्र में एक अनुबन्ध करना होगा तथा संविदा की शर्तो को भली प्रकार से निभाने के लिए नियमानुसार पांच प्रतिशत सिक्यूरिटी के रूप में सिक्यूरिटी राशि जमा करानी होगी जिसको सहमत हुए संविदा का कार्य पूर्ण होने की तारीख से दो माह के बाद विवाद न होने की स्थिति में सिक्यूरिटी राशि लौटा दी जावेगी। ऐसी सिक्यूरिटी राशि पर मुद्रणालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अनुबन्ध को पूरा करने एवं उस पर स्टाम्प आदि का जो व्यय होगा वह निविदादाता को वहन करना पडेगा। मुद्रणालय को निःशुल्क अनुबन्ध की एक स्टाम्प लगी हुई मूल प्रति दी जावेगी। अनुबन्ध के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

ix. फर्म को भुगतान करने में (राशि के प्रेषण) में जो भी अतिरिक्त व्यय होगा वह अनुमोदित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।

x. यदि अनुमोदित फर्म निर्धारित विवरण के अनुसार कामगार उपलब्ध कराने में असफल हो जाता है या निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजने में असफल रह जाता है तो मुद्रणालय अन्य प्रकार से व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा जिसमें होने वाली क्षतिपूर्ति राशि की वसूली निविदादाता फर्म से की जावेगी।

xi. मुद्रणालय अनुमोदित फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये गये कामगारों की शिकायत के सम्बंध में फर्म को लिखित में सात दिवस का नोटिस दे सकता है एवं बाद में उस नोटिस की तामील होने की तारीख से सात दिवस के भीतर अनुमोदित फर्म पालना करने में असफल रहता है, तो ऐसे मामलों में यदि मुद्रणालय उचित समझता है तो उसके लिए उस सुरक्षित धन राशि को रोकना न्यायोचित होगा तथा अन्य व्यवस्था करने के लिये स्वतंत्र होगा जिसमें होने वाले अधिक व्यय की राशि की वसूली फर्म की जमा सिक्यूरिटी राशि में से किया जावेगा।

xii. सामान्यतः बिल का भुगतान बिल प्राप्ति के पश्चात् 1—2 कार्य दिवसों में चैक (Cheque) द्वारा किया जावेगा। विवादास्पद मामले में निपटारा होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा।

xiii. निविदाकर्ता या उसके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से निविदा स्वीकृत करने के लिए किये गये किसी भी प्रयास को अयोग्यता की श्रेणी में माना जावेगा। मुद्रणालय न्यूनतम निविदादाता की दर को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं होगा। वह किसी भी निविदा/निविदा के किसी भाग को उसका कारण बतलाये बिना रद्द कर सकता है।

xiv. भुगतान योग्य बिलों पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा।

xv. बिड्स अनुबंध की वैधता अवधि अनुबंध होने की तिथि से 31.03.2020 होगी। आवश्यकता होने पर आपसी सहमति से नियमों के तहत अवधि आगे बढ़ाई जावेगी।

xvi. बिड्स स्वीकृत करने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सहकारी मुद्रणालय प्रशासन को होगा।

xvii. बोलीदाता की पहचान हेतु फोटो युक्त आई डी प्रूफ की प्रति संलग्न करना होगा।

xviii. दरो में शब्दों एवं अंको में अंतर होने पर शब्दो वाली दर सही मानी जावेगी।

xix. बिड्स/निविदाओं से उत्पन्न होने वाले सभी विवादो एवं अनुबंध के निर्वाचन से सम्बन्धित सभी विवादों के निपटारे के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत उपापन से सम्बन्धित विवादास्पद प्रकरण के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई का अधिकार प्रथम अपील प्राधिकारी मुद्रणालय के प्रशासक/संचालक मंडल एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर में निहित है।

19. निविदादाता फर्म को अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

20. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पालना करनी होगी। सामान्य एवं वित्तिय एवं लेखा नियमों तथा संगत नियमों के प्रावधान यथावत लागू होगें ।

21. सशर्त बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।

22. बिना प्रतिफल के प्रस्तुत निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।

23. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों से ही किया जायेगा। संबंधित एजेन्सी द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा करायी गयी राशि का विवरण मुद्रणालय को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा । श्रमिकों के बैंक खातों में जमा करायी गई राशि के विवरण बाबत् मुद्रणालय की सतुष्टि होने पर ही एजेन्सी को आगामि माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

    संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई. एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिक की मजदूरी राशि से कटौती और फर्म का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही एजेन्सी को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा ।

24. संवेदक द्वारा श्रमिको को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी । सभी प्रकार के करो को जमा कराने की जिम्मेदारी एजेन्सी की ही होगी । संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी । वस्तु एवं सेवा कर की राशि जमा कराने प्रमाणस्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में उत्पन होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व एजेन्सी का होगा ।

25. श्रम एवं विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशानिर्देशों की पालना करने का दायित्व एजेन्सी का ही होगा। श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए एजेन्सी स्वयं जिम्मेदार होगी।
26. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गए श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक अधिनियम–1970 का उचित रूप से तथा निष्टा पुर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
27. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपुर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा करवाने ईत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए मुद्रणालय की कोई जिम्मेदारी नही होगी ।
28. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित मजदूरी का भुगतान नही किये जाने की शिकायत मुद्रणालय को प्राप्त होती है तो मुद्रणालय इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को DEBAR कराने की कार्यवाही करेगा।
29. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं अन्य सभी विधिक संगत प्रावधान लागू होंगे।
30. **सफल बोलीदाता जिनका कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला जयपुर में स्थित नही है उनको अनुबंध निष्पादन तिथि से एक माह की तिथि/निर्देशित समय में कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला स्थापित कर पूर्ण पता मुद्रणालय को देना होगा, जिससे वहां जाकर भौतिक रूप से सत्यापन एवं निरीक्षण किया जा सके तथा उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता भी देना होगा, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।**

प्रबन्ध निदेशक

हमने निविदा की उक्त सभी शर्ते पूर्ण रूप से पढ़ ली है। उक्त सभी शर्ते हमें स्वीकार है।

निविदादाता फर्म के हस्ताक्षर मय मोहर

नाम...

पद...

पता..

....